भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1437

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

अधिकृत/लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के माध्यम से ईपीएफओ सेवा

†1437 श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का अधिकृत/लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सेवाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एजेंटों को नियुक्त करने के पीछे क्या तर्क है और उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति क्या है;

(ग) उक्त सेवाओं के कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे एजेंटों के चयन, मान्यता और विनियमन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ङ) विशेष रूप से पेंशनभोगियों और असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए गलत बिक्री, अधिक शुल्क लेने, डेटा के दुरुपयोग और उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं; और

(च) एजेंटों के माध्यम से ईपीएफओ सेवा वितरण का विस्तार करते समय पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****